अपील सूचना का अधिकार 144/2020 (GCMS 2020/00258) सुखप्रीत सिंह पुत्र बोहड सिंह निवासी 2 एन आर डी''ए'' निरवाना, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर–राजस्थान – 335804 (मोबाईल नं. 99290–48777) बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.01.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुखप्रीत सिंह स्वयं उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अति. सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर ने अपीलार्थी का मूल प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सम्बन्धित होने के कारण उन्हें स्थानान्तरित कर दिया था। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंनगर ने अपीलार्थी को निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, रायसिहनगर से वांछित सूचना दिलवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री सुखप्रीत सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र की प्रति संलग्न नहीं की है।

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक 775 दिनांक 08.12.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है और प्रति प्रार्थी को प्रेषित की है ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी सुखप्रीत सिंह द्वारा सूचना के अधिकार के तहत काला सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 82 एलएनपी तहसील पदमपुर को आवंटन किस चक में किया गया है से संबंधित आवेदन पत्रावली की प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रति चाही गई है। उपरोक्त आवंटन से सम्बन्धित प्रकरण संख्या व आवंटन की तिथि अंकित नहीं की गई है जिसके अभाव में चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। जो सूचना जिस प्रारूप में आप चाही गई है। आरटीआई की धारा 2(च) के तहत देय नहीं है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा रिपोर्ट कागज पत्र नमूने, मॉडल आंकडो संबंधी सामग्री शामिल है लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवदेक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर होने के कारण उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 24.08.2020 को जवाब दिया जा [illegible] वांछित सूचना का पूर्ण विवरण न होने के कारण उपल[illegible] का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) [illegible] है जिस पर लोक सूचना **अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो पूर्ण विवरण सहित निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

<u>चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए</u> एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **<u>सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।</u>** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **<u>सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है।</u>** **इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 24.08.2020 को दिया गया उत्तर सही** है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है इसलिए प्रार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की [illegible]वाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.01.20[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 13:03:24 IST
Reason: SelfAttested